

हुक्म या कार्यवाही नये इनिशयत्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

20/11/20
सुभप पक्ष सुपथित पीटारीन अधिकारी राजकीय
कार्य में है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

48/20
पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक को पेश हो।
25-8-20

25/8/20
सुभप पक्ष सुपथित पीटारीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 1.5.9.20 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

52/20
पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपरिचित तहसीलदार
माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने माँका
रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी
की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र रने
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फाइल शुगर होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या -187/19 प्रा-पत्र

1-सी बालु-21-डी गैरा जाट निवासी मालपुरा तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1-सी बालु 21-डी गैरा जाट निवासी मालपुरा तहसील माण्डल (प्रा-पत्र)
(संबंधी प्रा-पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सारणा-कावेडा पटवार हल्का सावेडा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 172, 180 कुल किता 02 रकबा 05 बीघा - बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के नद्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.10.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत कारत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सारणा-कावेडा पटवार हल्का सावेडा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 178, 180 कुल किता 02 रकबा 05 बीघा - बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीयास 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा